छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक 15 जून, 2009

क्रमांक एफ 2–10/2008/1–सूअप्र :: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005), की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् ;–

:: नियम ::

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009" है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005);

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धाराएं ;

(ग) अन्य समस्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में समनुदेशित किये गए हैं।

3. **अनुरोध केवल एक विषयवस्तु से संबंधित हो** :– सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अन्तर्गत अनुरोध लिखित में एक विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिये अलग–अलग आवेदन करेगा।

परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषयवस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग–अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

12/6/09

निरन्तर.....2.